मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक / एफ–03–52 / 2005 / 10–2 भोपाल दिनांक 13 सितम्बर, 2023

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
मध्य प्रदेश, भोपाल

विषयः– म.प्र. शासन के संकल्प दिनांक 22.10.2001 के अंतर्गत वन प्रबंधन समितियों को प्राप्त लाभांश की 20 प्रतिशत राशि के अंतर्गत विकास कार्यो के उपयोग हेतु मार्गदर्शी नियमों में संशोधन।

संदर्भः– समसंख्यक आदेश क्रमांक / एफ–3–52 / 2005 / 10–2 दिनांक 07.08.2014

—0—

म.प्र. शासन संकल्प दिनांक 22.10.2001 के अंतर्गत वन प्रबंधन समितियों को प्राप्त लाभांश की 20 प्रतिशत राशि से विकास कार्यो के उपयोग हेतु मार्गदर्शी नियम समसंख्यक आदेश दिनांक 07.08.2014 को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार संशोधित नियम जारी किया जाता हैः–

उद्देश्य –

मध्यप्रदेश शासन, संकल्प दिनांक 22.10.2001 के पालन में इमारती काष्ठ एवं बाँस के विक्रय से प्राप्त राजस्व में से संयुक्त वन प्रबंधन समिति की देय लाभांश राशि की 20 प्रतिशत राशि के उपयोग हेतु नियम–

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा लागू होना :
   1.1 इन नियमों का संक्षिप्त नाम "म.प्र. विकास राशि उपयोग नियम, 2023" है।
   1.2 ये नियम पूरे मध्य प्रदेश में लागू होंगे।
   1.3 ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
2. परिभाषा :

pccf(JFM) इन नियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो

2.1 वन समितियों से अभिप्रेत है : संयुक्त वन प्रबंधन समिति जो मध्य प्रदेश शासन के संकल्प 2001 के अंतर्गत गठित हो।

2.2 प्रशिक्षण संस्था से अभिप्रेत है वन विद्यालय अथवा ऐसे शासकीय संस्थान जहां संयुक्त वन प्रबंधन समितियों एवं विभागीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

2.3 विकास राशि से अभिप्रेत है : म.प्र. शासन के संकल्प दिनांक 22.10.2001 के अन्तर्गत संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को देय राशि में से प्रशिक्षण अद्योसंरचना सुविधाओं आदि कार्यों हेतु आरक्षित 20 प्रतिशत राशि।

SR. P.A. TO P.C.C.F. No. 5495 19/9/23 ... PRADESH, BHOPAL

विकास राशि से कराये जाने वाले कार्य :

विकास राशि से निम्नलिखित प्रकार के कार्य कराये जा सकेंगे :–

(अ) वन विभाग के प्रशिक्षण संस्थाओं का आधुनिकीकरण, उनमें अधोसंरचना का विकास एवं समितियों के सदस्यों तथा वन कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था। इसमें प्रदेश के लिए वनों के विकास एवं संरक्षण हेतु प्रचार–प्रसार सामग्री तैयार करना, संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का आयोजन तथा समिति के सदस्यों एवं वन विभाग के बीच सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से खेलकूद आयोजन एवं खेलकूद सामग्री आदि क्रय करना सम्मिलित होगा।

निरन्तर 2

(ब) संयुक्त वन प्रबंधन से संबंद्ध वन कर्मचारियों के आवास, संयुक्त वन प्रबंधन ट्रेनिंग हॉस्टल, संयुक्त वन प्रबंधन में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों के लिये हॉस्टल निर्माण, संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के सशक्तिकरण हेतु अधोसंरचना का विकास, सामुदायिक भवन निर्माण आदि।

(स) "संयुक्त वन प्रबंधन समितियों में ऊर्जा के वैकल्पिक संसाधनों के सामुदायिक एवं परिवारमूलक संसाधनों (सौर्य ऊर्जा के लैम्प, स्ट्रीट लाईट, सोलर कुकर या ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्त्रोत एल. पी. जी. गैस सिलेण्डर, चूल्हा), आजीविका के संसाधनों एवं स्वास्थ्यवर्धक कार्यों (संयुक्त वन प्रबंधन समिति क्षेत्रों में समितियों के सदस्यों एवं उनके बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित कार्य यथा शुद्ध पेय जल की व्यवस्था, स्वास्थ्य शिविर) का विकास, स्कूली बच्चों एवं कालेज के विद्यार्थियों की शिक्षा के लिये स्कूल बैग एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएँ।

4. कार्यो का अनुमोदन

4.1 आवंटित राशि से कार्यो की स्वीकृति करने के लिए अन्तर्विभागीय स्तर पर निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :—

1. वन मंत्री जी, म.प्र., शासन	—	अध्यक्ष
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वन विभाग	—	सदस्य
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र. भोपाल	—	सदस्य
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार, लोक वानिकी)	—	सदस्य
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट)	—	सदस्य
6. म.प्र. शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा नामांकित प्रतिनिधि	—	सदस्य
7. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा नामांकित प्रतिनिधि	—	सदस्य
8. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संयुक्त वन प्रबंध)	—	सदस्य सचिव

4.2 समिति के कर्तव्य : उपरोक्त समिति विकास राशि से प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन करेगी। समिति वर्ष में कम से कम दो बार स्वीकृत कार्यो का अनुश्रवण करेगी। यदि किसी वनमण्डल/संस्थान द्वारा स्वीकृत राशि अनुसार कार्य नहीं कराये जाते हैं तो समिति इस राशि को अन्य प्रशिक्षण संस्थानों/वनमण्डलों को आवंटित कर सकेगी।

5. प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया

5.1 संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा अधोसंरचना विकास हेतु वार्षिक प्रस्ताव तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रति वर्ष वार्षिक प्रस्ताव तैयार कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सं.व.प्र./व.वि. अ.) को प्रेषित किये जायेंगे।

5.2 वनमण्डल के भारसाधक अधिकारी द्वारा वार्षिक प्रस्ताव संबंधित वन वृत्त के भारधासक अधिकारी के माध्यम से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सं.व.प्र./व.वि. अ.) को प्रेषित किये जायेंगे।

5.3 अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सं.व.प्र./व.वि.अ.) द्वारा प्राप्त प्रस्ताव को अपने अभिमत सहित अन्तर्विभागीय स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे एवं समिति के अनुमोदन अनुसार कार्य प्रारंभ करने की स्वीकृति जारी की जावेगी।

निरन्तर....3

6. प्रकरण विशेष में इन नियमों एवं संकल्प में वर्णित प्रावधानों में व्याख्या के अंतर की स्थिति में संकल्प के मूल प्रावधान ही लागू होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनुराग कुमार)
पदेन उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ.क्रमांक / एफ–03–52 / 2005 / 10–2 भोपाल दिनांक 13 सितम्बर, 2023

प्रतिलिपिः–

1. महालेखाकार, ग्वालियर, म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
2. विशेष सहायक, माननीय वन मंत्री ज़ी, म.प्र. शासन।
3. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, वन, म.प्र. शासन।
4. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र.।
5. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्य प्राणी), म.प्र.।
6. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अनुसंधान विस्तार एवं लोक वानिकी), म.प्र.।
7. म.प्र. शासन, आंदिमजाति कल्याण विभाग द्वारा नामांकित प्रतिनिधि, म.प्र. भोपाल।
8. म.प्र. शासन, वित्त विभाग द्वारा नामांकित प्रतिनिधि, म.प्र. भोपाल।
9. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्य आयोजना), म.प्र.।
10. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य वन विकास निगम मर्यादित, भोपाल।
11. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य लघुवनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ, भोपाल।
12. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वित्त / बजट), म.प्र.।
13. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संयुक्त वन प्रबंधन), म.प्र.।
14. समस्त प्रधान / अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, म.प्र.।
15. समस्त मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक (क्षेत्रीय / वन्यप्राणी / अनु.विस्तार), वनवृत्त, म.प्र.।
16. समस्त वन संरक्षक / वन मंडलाधिकारी, वन मंडल मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

पदेन उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग